मजिस्ट्रेट ने की चेकिंगः महापौर के वाहन का बना चालान

तहसीलदार के वाहन का हूटर उतरवाया, सायरन और काली परत वाले वाहनों पर सख्ती, 10 हूटर-सायरन जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एमपी नगर क्षेत्र में मंगलवार को जिला न्यायालय के निर्देश पर विशेष मजिस्ट्रेटीय वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आग्नीध्र कुमार द्विवेदी ने किया। उनके साथ तीन अन्य मजिस्ट्रेट, चार थाना पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की।

अभियान के दौरान छिंदवाड़ा के महापौर के वाहन पर लगी महापौर की पट्टिका हटवाकर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं टीटी नगर की मजिस्ट्रेट करुणा दंडोतिया के वाहन को भी जांच के लिए रोका गया और उस पर लगा हूटर हटाया गया। बाद में उन्होंने शासन का आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें मजिस्ट्रेट को हूटर लगाने की अनुमति का उल्लेख था। इसके बाद उन्हें बिना चालान के जाने दिया गया।

यातायात पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान डीबी मॉल के सामने 14 वाहनों से काली परत हटाई गई तथा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त बिना सुरक्षा शिरस्त्राण वाहन चलाने वाले आठ चालकों पर भी कार्रवाई की गई। बिना पंजीयन संख्या, काली परत तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की भी विशेष रूप से जांच की गई। अवैध रूप से हूटर, सायरन और लाल-नीली बत्ती का उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई। कई वाहनों से मौके पर ही अवैध हूटर और सायरन हटाकर जब्त किए गए। यातायात सहायक पुलिस आयुक्त देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में वाहन मालिक की पहचान नहीं, बल्कि नियमों का पालन देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 10 वाहनों से अवैध हूटर और सायरन जब्त किए जा चुके हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी।

समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करेः मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता हो या भोजशाला का विषय, कांग्रेस प्रत्येक मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम और मत बैंक की राजनीति के दृष्टिकोण से देखती है।

विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों ने समान नागरिक संहिता पर खुलकर अपने विचार रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा। प्रतिवेदन तीन खंडों में तैयार किया गया है। पहले खंड में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू विभिन्न कानूनों तथा परंपराओं के विश्लेषण के आधार पर अनुशंसाएं दी गई हैं। इसमें कुल दस अध्याय शामिल हैं। दूसरे खंड में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप दिया गया है, जिसमें चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं।

तीसरे खंड में जिला स्तर, राज्य स्तर तथा वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जन सुझावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। समिति को 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनका प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।

जिला बार चुनाव से पहले अधिवक्ताओं ने उठाए मूलभूत मुद्दे

नप्र, भोपालः जिला बार संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चुनावी माहौल तेज हो गया है। 16 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि वे उसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, जो उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देगा। नए अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने आई हैं। महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला अदालत परिसर में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती और नए अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलने वाला मानदेय भी उपलब्ध नहीं हो पाता। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास करेगा, उसे ही उनका समर्थन मिलेगा। जिला बार संघ के चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 16 जुलाई को मतदान होगा, जिसमें करीब छह हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

शिक्षा ही जीवन का आधारः सिद्धभाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः 'शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। विद्यार्थी जीवन तपस्या का काल है और माता-पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं।

अतः विद्यार्थियों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और कड़ी मेहनत से उनके सपनों को साकार करें।' यह उद्गार पूज्य सिद्धभाऊजी ने संत हिरदाराम नगर स्थित साधु वासवानी स्कूल के वार्षिक सम्मान समारोह में व्यक्त किए। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, माँ सरस्वती और पूज्य संत हिरदाराम साहिब के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

सुधार सभा के महासचिव कन्हैयालाल रामनानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्रों की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन और अभिभावकों का समर्पण होता है। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि कर्नल नारायण पारवानी ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि अनुशासन और स्वास्थ्य ही उन्नति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने छात्रों को समय पर सोने, खाने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। वहीं, सुधार सभा के उपाध्यक्ष आईलदास साधवानी ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ छात्रों को अपनी कौशल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। संस्था के सचिव महेश दयारामानी ने शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए शिक्षकों से स्वयं को समय के अनुरूप अपडेट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रा कोमल सोनी और छात्र तुषार विधानी ने सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और सिद्धभाऊ के मार्गदर्शन को दिया।

पुष्य नक्षत्र पर बच्चों के लिए निशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर आज

नप्र, भोपालः पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर एक माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन बुधवार, 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। शिविर का आयोजन श्री अखंड आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय, अयोध्या नगर तथा श्री अखंड आयुर्वेद भवन, कोलार रोड में एक साथ होगा। आयोजकों के अनुसार स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की पारंपरिक पद्धति है, जिसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्मरण शक्ति, एकाग्रता एवं समग्र शारीरिक-मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है। शिविर में एक माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा।

आयोजकों ने अभिभावकों से अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को शिविर में लाकर इस अवसर का लाभ उठाने तथा इसकी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की अपील की है।

पूर्व मुख्यमंत्री जोशी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री जोशी कुशल संगठनकर्ता, जनसेवक और सादगीपूर्ण सार्वजनिक जीवन के प्रेरणास्रोत थे। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श हैं। उनका जीवन सादगी, शुचिता, नैतिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति समर्पित रहा। प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों और विस अध्यक्षों की जयंती एवं पुण्यतिथि पर नियमित रूप से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की सराहना की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, स्वर्गीय जोशी के पुत्र एवं पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

श्रीकृष्ण गोवर्धन मंदिर में आज से प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के टी.टी. नगर स्थित पीएचई ऑफिस के पास पाल समाज श्रीकृष्ण गोवर्धन मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद 15 से 17 जुलाई तक तीन दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

पाल समाज श्रीकृष्ण गोवर्धन मंदिर समिति के तत्वावधान में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बघेल और मीडिया प्रभारी भानु प्रताप सिंह पाल ने बताया कि महोत्सव में पाल, बघेल, धनगर, यादव, ग्वाला, गुर्जर, घोषी, चौधरी, गायरी, भारूड़ और गवली समाज सहित विभिन्न समाजों के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। दूसरे दिन अन्नाधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास सहित विभिन्न वैदिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। अंतिम दिन सहस्त्रधारा महाअभिषेक, नगर भ्रमण, प्राण-प्रतिष्ठा हवन, पूर्णाहुति, महाआरती तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

समारोह में डॉ.यादव, मंत्री कृष्णा गौर,संत-महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के शामिल होने की संभावना है। समिति के अनुसार यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी देगा।

स्व. राजेश प्रसाद मिश्रा की 67वीं जयंती पर आज भजन संध्या

भोपाल। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं समाजसेवी स्व. राजेश प्रसाद मिश्रा की 67वीं जन्मजयंती पर बुधवार को रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागृह में शाम 6.30 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम के संयोजक हरिओम जटिया ने बताया कि स्व. मिश्रा अपने सरल व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली और जनसेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का त्रिनेत्री गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (TRINETRI GUPTA D/O ROBIN GUPTA) निवासी वार्ड नं. 15 निकासा गली मंदिर के पास स्वर्णकार कालोनी विदिशा तहसील व जिला विदिशा म.प्र.-404601 परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम परि गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (PARI GUPTA D/O ROBIN GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत व अधूरा है एवं वास्तविक सही नाम त्रिनेत्री गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (TRINETRI GUPTA D/O ROBIN GUPTA) है जो कि मेरी पुत्री की अंकसूची में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरांत नाम त्रिनेत्री गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (TRINETRI GUPTA D/O ROBIN GUPTA) के नाम से जाना पहचाना व पढा जाये।

पुराना नामः परि गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (PARI GUPTA D/O ROBIN GUPTA)

नया नामः त्रिनेत्री गुप्ता पुत्री श्री रॉबिन गुप्ता (TRINETRI GUPTA D/O ROBIN GUPTA)

938

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 बैरागढ चिचली, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, म.प्र.

क्रं. 03/रा.नि./2026 भोपाल,दि. 12/07/2026

सूचना-पत्र

प्रति,1-मैसर्स ईशान इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार विजय हरीरमानी पुत्र श्यामदास हरीरमानी श्रीमती निशादेवी यादवानी पत्नी सुभाष कुमार यादवानी, पता नि. 228 जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल मेसर्स खनेजा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा एस. के अरेरा पता भोपाल 3. दानिश खान नाबा पुत्र मुजीद खान संरक्षक नसरून बी पत्नी मुजीब खान पता इनायतपुरा भोपाल 4 मच्छू खान पुत्र गुलाब खां पता इनायतपुरा भोपाल 5-श्री मोहनसिंह आ. शंकरलाल पता अकबरपुर 6. साईकृपा एसोसिएटस द्वारा पार्टनर प्रकाश चन्दनानी पुत्र भेरूमल चन्दनानी पता नि. आदित्य ऐवन्यु एयरपोर्ट रोड भोपाल 7. श्रीमती नीना सिंह पत्नी राजीव सिंह पता 166 शाहपुरा भोपाल 8. श्री रमेशचंद्र पुत्र बालमुकुंद पता भोपाल 9. कृष्णाबाई पुत्री जमनाप्रसाद पता सलैया 10. वरूण पुत्र ब्रम्हास्वरूप वाजपई पता भोपाल, ब्रम्हास्वरूप पिता ज्ञानस्वरूप वाजपाई पता हर्षवर्धन नगर, ऋतु पत्नी स्व. कुंवर प्रदीप हर्षवर्धन नम्रता राजश्री पुत्र पुत्रियां कुंवरदीप पता भोपाल 11. श्रीमती रमादेवी स्मृति शिक्षा संस्थान द्वारा सचिव डॉ वीरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र जे पी श्रीवास्तव पता 8 बरखेडी भोपाल, अग्रवाल इंटरप्राईजेस एक भागीदार फर्म द्वारा भागीदार संचालक अभिनव अग्रवाल पिता अरूण अग्रवाल पता भोपाल, अनुष्का श्रीवास्तव पुत्री डॉ वीरेन्द्र श्रीवास्तव एवं अनन्या श्रीवास्तव पुत्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव पता 64 अमलतास चूनाभट्टी भोपाल 12. श्रीमती अनिता ठाकुर पत्नी अतुल ठाकुर पता कांकरिया व अन्य सहखातेदार 13. श्री विकास शर्मा पुत्र शशिशंकर शर्मा पता भोपाल 14. सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय अति. तहसीलदार तहसील-कोलार जिला-भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0092/अ-12/2026-27 में आवेदक मैसर्स ईशान इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार पुत्र श्यामदास हरीरमानी श्रीमती निशादेवी यादवानी पत्नी सुभाष कुमार यादवानी, पता नि. 228 जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल ग्राम बैरागढ चिचली, प.ह.नं.-14 रा.नि. मं.- 03 बैरागढ चिचली, तहसील कोलार, जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा नं. 532,533/1, 533/2/1, 533/2/2, 554, 555, 559, 561,562, 563,रकबा क्रमशः 0.7600 हे., 0.7600 हे., 0.3200 हे., 0.4400 हे., 0.1200 हे., 0.7600 हे., 0.1200 हे., 0.7600 हे., 0.6400 हे., 0.6400 हे. कुल रकबा 5.3200 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा, सूचना-पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 16/07/2026 को समय 11:00 बजे को आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नही किया जायेगा। अतिआवश्यक शासकीय कार्य होने कि स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 बैरागढ चिचली, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, म.प्र.

939

374 निरीक्षक उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत

12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के भी हुए तबादले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लोक सेवा पदोन्नति नियमों के आधार पर गृह विभाग ने निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 374 निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही राज्य शासन ने 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले भी किए हैं।

पदोन्नति सूची में पुलिस की विभिन्न इकाइयों तथा अधीक्षक कार्यालयों में कार्यरत निरीक्षक भी शामिल हैं। पदोन्नत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

गृह विभाग के अनुसार पुलिस विभाग में पदस्थ 261 निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक तथा विशेष सशस्त्र बल के 54 निरीक्षकों को कंपनी कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 30 रक्षित निरीक्षक संवर्ग, दो रेडियो निरीक्षक, विशेष शाखा के 16 निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक आयुध संवर्ग के दो, अंगुली चिन्ह संवर्ग के दो, शीघ्रलेखक कार्यालय अधीक्षक संवर्ग के दो, निरीक्षण कार्यालय अधीक्षक संवर्ग के दो, फोटो संवर्ग के एक तथा क्यूडी संवर्ग के दो अधिकारियों को भी उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक अन्य आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी नियमित पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे आगामी आदेश तक कार्यवाहक उच्च पद का दायित्व पूर्ववत निभाते रहेंगे। उन्हें उच्च पद की वरिष्ठता अथवा वेतन का दावा प्राप्त नहीं होगा, हालांकि कार्यवाहक अवधि में वे उसी पद की वर्दी धारण कर सकेंगे।

इधर शासन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। इसके तहत रीवा, विदिशा, शिवपुरी, सीहोर और उज्जैन सहित विभिन्न जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, विशेष सशस्त्र बल तथा अन्य इकाइयों में भी अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

राजयोग से तनावमुक्त नेतृत्व का संदेश, महापौर व पार्षद सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सुख-शांति भवन, नीलबड़ में नगर निगम महापौर मालती राय एवं सभी पार्षदों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारीज़ की भोपाल संचालिका राजयोगिनी बीके नीता दीदी ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, मूल्यों और आत्मिक चेतना से बनता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से निष्पक्ष, संवेदनशील और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आह्वान किया।

वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राम कुमार भाई ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और संस्कारों पर शासन करना सीख लेता है, वही समाज का श्रेष्ठ नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन को तनावमुक्त जीवन और बेहतर निर्णय क्षमता का आधार बताया। बीके आराधना दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता से नेतृत्व अधिक संवेदनशील और जनहितकारी बनता है।

महापौर मालती राय ने ब्रह्माकुमारीज़ की नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नैतिक शिक्षा संबंधी सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित सभी पार्षदों का शॉल, तिलक एवं ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान किया गया।

सेवासदन को राष्ट्रीय सम्मान 'इनोवेटिव आई केयर प्रैक्टिसेज' अवॉर्ड मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भोपाल का सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित बेंगलुरु में मिला प्रतिष्ठित 'इनोवेटिव आई केयर प्रैक्टिसेज' अवॉर्ड सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित हुआ है। बैंगलुरु में आयोजित विज़न-2020 राईट टु साईट के 20वें वार्षिक सम्मेलन में चिकित्सालय को 'अभिनव नेत्र सुरक्षा प्रणाली' श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान देशभर में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता, नवाचार, मरीज-केंद्रित सेवाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान देने वाली चुनिंदा संस्थाओं को दिया जाता है। इस वर्ष विज़न-2020 इण्डिया के वार्षिक सम्मेलन का विषय 'इनोवेटिव आई केयर प्रेक्टिसिस' था।

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार DMI Housing Finance Pvt. Limited भोपाल द्वारा शाखा प्रबंधक की ओर से सर्व साधारण को सूचित करती हूं कि सायमा अंसारी पुत्री मो. रफिक एवं मो. समीम आत्मज मों. रफिक निवासी भोपाल के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक किता आवासीय मकान जो कि खसरा क्रमांक 747 का अंश भाग होकर, बाग तमोली का टीला, कम्मू का बाग, गरम गड्ढा रोड, भोपाल में स्थित है जिसके प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफिट है जिसके दिशा पूर्व में अन्य की सम्पत्ति, दिशा पश्चिम में 20 फिट रोड, दिशा उत्तर में विक्रेता की भूमि तथा दिशा दक्षिण में मो. अनीस का मकान है। यह कि उक्त सम्पत्ति को सायमा अंसारी पुत्री मो. रफिक एवं मो. समीम आत्मज मों. रहिफ निवासी-भोपाल द्वारा अकबर खान आत्मज कमरूद्दीन खान निवासी भोपाल को विक्रय किया जा रहा है जिसे क्रय करने हेतु अकबर खान द्वारा उक्त सम्पतित को बंधकर रखकर मेरे पक्षकार DMI Housing Finance Pvt. Limited के समक्ष ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा हैं। यह कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित पूर्व का मूल लिंक दस्तावेज विक्रय पत्र जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 25.03.1991 को पुस्तक क्रमांक अ-01 ग्रन्थ क्रमांक 7339 एवं दस्तावेज क्रमांक 3598/ख पर पंजीबद्ध है कहीं गुम हो गया है जो कि बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। मेरी पक्षकार कंपनी उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति, (परिवार के अन्य सदस्य अथवा वारिस) संस्था, बैंक, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का स्वत्व, आधिपत्य, हित, ऋण, बंधक (सम्यक), भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 05 दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरी पक्षकार कंपनी उपरोक्त सम्पत्ति पर उपरोक्त पक्षकार को ऋण प्रदान कर सकेगी।

वर्षा कादे, एडवोकेट
एसएफ-06, प्रथम तल, विजय स्तम्भ एम.पी. नगर जोन-01, भोपाल
मो. 8602028236

937

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन,कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र.2304/अ-6/2026-27

सर्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण/ बटान/ बटवारा/सीमांकत की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 21/07/26 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण/ बटान/बटवारा/सीमांकन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **अनुसूची**:-ग्राम का नाम नेवरी, खसरा नंबर 5/1/7/2 क्षेत्रफल 4945 वर्गफिट उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है आवेदक का नाम), पिता (पति का नाम एवं पता/विपुल गर्ग आ. स्व. चंद्रमोहन आज दिनांक 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संतहिरदाराम (बैरागढ) वृत्त भोपाल

936

जाहिर सूचना

ग्राम अरेही हल्का 20/38 तह. हुजूर की भूमि ख. क्र. 158 रकबा 0.1805 के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री मो. आसिफ अली आ. श्री रहमत अली निवासी 45 हजरत निजामुद्दीन कालोनी भोपाल ने भूमि स्वामी श्रीमती कुदसिया पत्नी श्री सलीम खान निवासी सी.527 पुष्पा नगर कोलानी भोपाल से भूमि खसरा क्रमांक 158 रकबा 0.1805 हेक्टेयर ग्राम अरेड़ी हल्का 20/38 तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है उक्त भूमि की चतुर्थ सीमायें पूर्व में-लखन सिंह भूमि, पश्चिम में विशेष शर्मा की भूमि, उत्तर में संतोष लोधी की भूमि, दक्षिण में-अन्य की भूमि को उसको क्रय करने हेतु बयाना राशि अनुबंध कर्ता को अदा कर दी गई है यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय अशासकीय कार्यालय बैंक इत्यादि द्वारा लेन-देन, बंधक, विक्रय अनुबंध आदि के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो इस संबंध में 7 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज के साथ सूचित करें। समयावधि पश्चात आपत्ति शून्य एवं प्रभावी मानी जायेगी।

आभास जैन,एडवोकेट
114/एम-1 जोन-2 एम. पी. नगर भोपाल
मो.9425150352

935

In The Court of I Additional Principal Judge, Family Court, Bhopal (M.P.)
Presiding Officer: (राजदीप सिंह ठाकुर)

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(Rch HM-493/2023)

मंजू जाटव विरूद्ध हिम्मत सिंह

मंजू जाटव.....**आवेदक** हिम्मत सिंह...**अनावेदक**

Process ID- **पेशी दि. 18/08/2026**

प्रेषिती-(1) हिम्मत सिंह जाटव पिता श्री रामचरण पति-श्री राजपाल सिंह ठाकुर, उम्र-35 वर्ष, नि.-जमुसर कला, तहसील बैरसिया जिला-भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** मंजू जाटव ने आपके विरूद्ध धारा हि.वि.अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे तो बाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से कराने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 14.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**: यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

राजदीप सिंह ठाकुर
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल म.प्र.भोपाल (म.प्र.)

934

कार्यालय भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 23/06/2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण कमांक 0004/अ-82/2026-27 चूँकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यक्ता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जावेगा।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

स. क्र	भूमि स्वामी का नाम जाति एवं पता	ग्राम का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टे में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अक्षत जैन पुत्र विजय जैन, जाति जैन, पता बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम लवापानी भूमि स्वामी	लवापानी	86/69 (S)	0.906	0.072	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रायसेन	टेकापार खुर्द लघु सिंचाई परियोजना
			किता 01	**0.906**	**0.072**		

सक्षम प्राधिकारी (भू अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बेगमगंज जिला रायसेन

जी-15623/26